The postal distribution system in the villages of Kanyakumari district is satisfactory. Letters, telegrams, money-orders and registered letters are generally delivered in time. However, instances of delays do occur due to various reasons such as cancellation/late running of mail-carrying buses, trains and planes, natural calamities and due to sudden and exceptionally heavy volume of mails like Corporate mail and Greetings mail.

(c) The transmission and delivery of mails and money orders in the State is continuously monitored at various levels and corrective measures are taken wherever deficiencies are noticed.

नये टेलीफोन एक्सचेंजों का स्थापित किया जाना

2580. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवेः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में नए टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना करने हेतु स्थानों का चयन कर लिया है;

(ख)यदि हां, तो त्रिपुरा सहित राज्य-वार और स्थान-वार तत्संबंधि ब्यौरा क्या है;

(ग़)क्या उक्त परियोजनाओ को शुरू कर दिया गया है;

(घ)यदि हां, तो स्थान-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड)क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों से सुझाव आमांत्रित किए है;

(च)यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है; और

(छ)क्या सरकार ने इन परियोजनाओं की स्थापना करने हेतु कोई उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय किया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)ः (क) से (घ) 1997-98 के लिए स्थापना-कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ड)से (छ) हमारी नीती के अनुसार, जब कभी पंजीकृत मांग बढ़कर 10 (दस) अथवा इससे अधिक हो जाती है तो एक नया एक्सचेंज खोलने की योजना बनायी जाती है। विशिष्ट मामलों में, जहां कहीं राज्य सरकार कुछ एक्सचेंज खोलने के लिए कहती है, उन मामलों में उसे 10 (दस) अथवा इससे अधिक की पंजीकृत मांग दर्शानी होती है। इस मामले में ऎसी कोई मांग नहीं है। इस मामले में ऎसी कोई मांग नहीं है।

सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु प्रभार

2581.**श्री चिमनभाई हरीभाई शुक्लाः** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)देश में सेल्युलर फोन सेवाओं के लिए अनुबंधित किए गए आपरेटरों और कम्पनियों का अद्यतन ब्यौरा क्या है;

(ख)क्या दूरसंचार विभाग एन सेल्युलर फोन सेवाओं हेतु कोई न्यूनतम और अधिकतम प्रभार निर्धारित किए है;

(ग)यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस समय सेल्युलर फोन सेवा कम्पनियों द्वारा किस दर पर प्रभार वसूल किए जा रहे है;

(ड़) क्या सेल्युलर फोन कम्पनियों ने दरों में भारी कमी करने की घोषण की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

संचार मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)ः (क) विभाग ने संलग्र विवरण-I मे दिए गए ब्यौरों के अनुसार, देश में सेल्युलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के प्रार्चालनार्थ 21 भारतीय पंजीकृत कंपनियों को लाइसेंस जारी कर दिए है। (नीचे देखिए)

(ख)और (ग) विभाग ने , लाइसेंसधारियों के उपभोक्ताओं से उनके द्वारा वसूल किए जाने वाले टैरिफ की सीमा निर्धारित कर दी है। टैरिफ की सीमा-संबंधी ब्यौरे विवरण –II में दिए गए है. (नीचे देखिए) लाइसेंसधारी इस सीमा के नीचे प्रचालन करने के लिए स्वतंत्र है। टैरिफ की सीमा की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की जाती है।

(घ) से (छ) टैरिफ सीमा के भीतर, प्रचालक कम टैरिफ वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। कंपनिया अपने उपभोक्ता ओं को अलग-अलग पैकेजों की पेशकश करती है तथापि जब तक वे निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत होते है, सरकार द्वारा इन्हें विनियमित नहीं किया जाता है।